

प्रेषक:-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी
रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उत्तर बैतूल वन मण्डल की 1.2496 हेक्टेयर वनभूमि एवं
होशंगाबाद वन मण्डल की 6.7861 हेक्टेयर कुल 8.0357 हेक्टेयर वनभूमि सेन्ट्रल रेल्वे,
नागपुर डिवीजन, बैतूल को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/RAIL/ 150074/2021)

संदर्भ:- आपका का पत्र क्रमांक/6-MPR 027/2023-BHO दिनांक 17.07.2023.

-----0-----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके
द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 09 बिन्दुओं पर जानकारी चाही
गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	Complete KML file of layout plan of forest area and non forest area (full project KML file) shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण की पूर्ण KML file सी0डी0 में प्रस्तुत की गई है, जो संलग्न है।
2	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	आवेदक संस्थान ने muck calculation and muck disposal scheme प्रस्तुत की है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
3	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा वन मण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल एवं नर्मदापुरम के हस्ताक्षर सहित Justification प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है।
4	No objection certificates of concerned department (Road, WRD, TL etc) shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा NHAI, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में WRD, TL की अन्य कोई परियोजना क्षेत्र में संचालित नहीं है।

5	As per recommendation of APCCF, Narmadapuram, the proposed area is passing through Satpura-Melghat tiger corridor. Regarding tiger conservation plan and SBWL/NBWL/NTCA approval needs to be submitted.	उक्त बिन्दु के पालन में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) ने अपने अशासकीय पत्र दिनांक 27.10.2023 द्वारा अभिमत प्रदान की गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
6	As per DSS analysis, some part of forest land not included in proposed diversion area. It shall be rectified.	प्रकरण में वन मण्डलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान द्वारा पुनः संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि कोई वनक्षेत्र नहीं छोड़ा गया है। प्रकरण में प्रस्तावित वनक्षेत्र को ही मान्य किया जावे।
7	As per DSS analysis and SIR North Betul, the proposed area is 6.63 km away from Satpura Tiger Reserve. Regarding comments of CWLW shall be submitted.	उक्त बिन्दु के पालन में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) ने अपने अशासकीय पत्र दिनांक 27.10.2023 द्वारा अभिमत प्रदान की गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
8	As per the covering letter of proposal, CA is proposed only 20.00 ha and as per the online Part-II and SIR of DFOs total 33.00 ha (20.00 ha in Narmadapuram & 13.00 ha in North Betul) CA proposed over DFL.	प्रकरण में प्रस्तावित वनभूमि 8.0357 हेक्टेयर के बदले 20.00 हेक्टेयर वनक्षेत्र पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना बनाई गई है, जिसे मान्य करने का कष्ट करें।
9	When was the existing track constructed? Documentary evidence shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि नागपुर से इटारसी तक रेलवे लाईन का निर्माण वर्ष 1919 में एवं डाउन लाईन के निर्माण वर्ष 1986 में किया गया है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

 30/10/23

(एच.एस. मोहन्ता)

भोपाल, दिनांक 31-10-23

पृ. क्रमांक/एफ-5/1211/2023/10-11/4860

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बैतूल एवं नर्मदापुरम (होशंगाबाद) वृत्त, मध्यप्रदेश।
 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, उत्तर बैतूल एवं एवं नर्मदापुरम (होशंगाबाद), म.प्र.
 3. उप मुख्य अभियंता (निर्माण), मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन, बैतूल, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

 30/10/23

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल